विधि क्षेत्र का नाम : महिला
सेक्शन का नाम : सामाजिक कानून
सब-सेक्शन का नाम: बाल-विवाह पर रोक

कानून पर एक नजर:

बाल विवाह स्वतंत्रता पूर्व काल से सामाज में प्रचलित एक सामाजिक बुराई है। इस अधिनियम के लागू होने से इसकी बड़े पैमाने पर रोकथाम की गई किंतु ग्रामीण भारत के कुछ हिस्सों में यह अब भी प्रचलित है। इस अधिनियम का उद्देश्य है इस अपराध में भागीदार व्यक्तियों को दंडित कर बाल विवाह को रोकना।

कानून की विस्तृत जानकारी

इस कानून के अनुसार यदि 21 वर्ष से कम आयु का कोई पुरुष 18 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की से विवाह करता है तो वह 15 दिनों की साधारण कैद तथा/अथवा 1000 रुपये के अर्थ दंड भागी बनता है।

यदि कोई 21 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष 18 वर्ष से कम आयु की लड़की से विवाह करता है तो वह 3 महीने की साधारण कैद तथा/अथवा अर्थ दंड का भागी होगा।

वैसे माता-पिता जो अपने बच्चों का बाल विवाह कराते हैं, उन्हें भी 3 महीने की कैद तथा अर्थ दंड भी दिया जा सकता है।

कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह को निर्देशित अथवा उसे संपन्न कराता है, वह भी 3 महीने की कैद तथा अर्थ दंड का भी भागी होता है।

यद्यपि, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इसके अंतर्गत किसी महिला को इस अपराध के लिए कैद की सजा नहीं दी जाएगी।

समाधान की प्रक्रिया

किस धारा के अंतर्गत शिकायत करें ?

धारा 7 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत किये गये अपराधों के अनुसंधान तथा गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है।

धारा 8 के अनुसार इस अधिनियम के अपराधों की सुनवाई का अधिकार केवल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को होगा।

शिकायत किससे करें/कहाँ करें?

यदि किसी व्यक्ति को बाल-विवाह होने की सूचना मिलती है तो वह निकट के पुलिस थाने में जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करा सकता है। अपराध के संज्ञेय होने के कारण पुलिस द्वारा, बिना किसी मजिस्ट्रेट की अनुमति की प्रतीक्षा किये, तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

मामले पर तब सक्षम प्राधिकारी द्वारा अदालत में सुनवाई की जाएगी।

मामला दर्ज कैसे करें ?

इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायत, अपराध घटित होने के 1 वर्ष के भीतर की जानी चाहिए।

अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के तहत तय किए गए अथवा होने वाले बाल-विवाह को रोकने हेतु निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु शिकायतकर्ता सक्षम न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं।

जो व्यक्ति न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हैं वे 3 महीने की कैद तथा/अथवा 1000 रुपये का अर्थ दंड के भागी बन सकते हैं।

इसके बाद क्या होगा ?

यद्यपि, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार विधित रीति से विवाह के एक बार संपन्न हो जाने पर, बाल-विवाह की स्थिति में भी यह सदा के लिए वैध माना जाता है।

1976 के संशोधन अधिनियम में 15 वर्ष से आयु की बालिका जिसका विवाह किया गया है, उसे वयस्क होने के बाद विवाह रद्द करने का अधिकार प्रदान करने के लिए कानून को संशोधित किया गया। इसे मुस्लिम बालिका के लिए भी लागू किया गया।

वैकल्पिक निदान

आरोपी के पास याचिका सौदागरी (प्ली बारगेनिंग) का विकल्प उपलब्ध होगा।